Biodiversity Governance in India

The Biological Diversity Act 2002 envisages a three-layered structure for biodiversity governance in India: The National Biodiversity Authority (NBA) at the national level, State Biodiversity Boards (SBBs) at the state level, and Biodiversity Management Committees (BMCs) at the local level.

National Biodiversity Authority (NBA)

- **Establishment and Role:** The NBA was established in 2003 under the Ministry of Environment, Forests and Climate Change following India's ratification of the Convention on Biological Diversity in 1992. It operates as a statutory autonomous body headquartered in Chennai, focusing on conservation, sustainable use of biological resources, and equitable benefit sharing from their use.
- **Regulatory Functions:** The NBA regulates access to biological resources for research, commercial utilisation, bio-survey and bio-utilisation, as well as the transfer of research outcomes and biological resources.
- **Advisory Functions:** It advises the Government of India and State Governments on identifying biodiversity hotspots as heritage sites.
- **Approval Process:** As per Section 3 of the Biological Diversity Act, 2002, the NBA's approval is required for non-Indian entities and non-resident Indians regarding the use of biological resources or associated knowledge within India.

Access to Bio-Resources and Intellectual Property Rights

- **Purpose and Use:** The Biological Diversity Act, 2002, dictates the terms of access and use of bio-resources and related knowledge for commercial, research, and bio-survey purposes.
- **Eligibility for Access:** Approval from the NBA is mandatory for foreign nationals, non-resident citizens, and entities with foreign participation in management or capital for accessing biological resources.

Equitable Benefit Sharing

- **Approval Mechanism:** The NBA ensures that the approval for access to bio-resources is conditional on terms that secure equitable benefit sharing.
- **Forms of Benefit Sharing:** Benefits may be shared in forms such as joint ownership of intellectual property, technology transfer, and boosting local economies by locating production and research facilities in a manner beneficial to local communities.

State Biodiversity Boards (SBBs)

- **Establishment:** SBBs are established under Section 22 of the Act in all 29 states of India.
- **Functions:**
    1. **Advisory:** They advise State Governments on biodiversity conservation and sustainable use.
    2. **Regulatory:** They regulate requests for commercial utilisation or bio-surveys of biological resources by Indians.
    3. **General Functions:** They perform other necessary functions as mandated by the State Governments or the Act.

Biodiversity Management Committees (BMCs) at the Local Level

Biodiversity Management Committees (BMCs) in India are local level committees responsible for promoting conservation, sustainable use, and documentation of biological diversity.

- **Role and Responsibilities:**
    1. **Conservation and Sustainable Use:** BMCs focus on the conservation and sustainable use of local biological resources.
    2. **Documentation:** They are responsible for documenting biodiversity and related knowledge.
    3. **People's Biodiversity Register (PBR):** BMCs prepare the PBR, which records local biodiversity details.
    4. **Eco-restoration:** They participate in the eco-restoration of local biodiversity.
- **Composition:** Each BMC consists of a chairperson and up to six members nominated by the local body, ensuring representation of women and Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

भारत में जैव विविधता के लिए तीन-स्तरीय संरचना

जैविक विविधता अधिनियम 2002 भारत में जैव विविधता शासन के लिए तीन-स्तरीय संरचना की परिकल्पना करता है:

1. राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए)
2. राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी)
3. स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां (बीएमसी)

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए)

- **स्थापना और भूमिका**: एनबीए की स्थापना 2003 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत 1992 में जैविक विविधता पर कन्वेंशन के भारत के अनुसमर्थन के बाद की गई थी. यह एक वैधानिक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है जिसका मुख्यालय चेन्नई में है, जो संरक्षण, सततउपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है. जैविक संसाधनों का उपयोग, और उनके उपयोग से न्यायसंगत लाभ साझा करना भी इसके कार्यों में आता है.
- **नियामक कार्य**: एनबीए अनुसंधान, वाणिज्यिक उपयोग, जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच के साथ-साथ अनुसंधान परिणामों और जैविक संसाधनों के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है.
- **सलाहकार कार्य**: यह भारत सरकार और राज्य सरकारों को विरासत स्थलों के रूप में जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान करने पर सलाह देता है.
- **अनुमोदन प्रक्रिया**: जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अनुसार, भारत के भीतर जैविक संसाधनों या संबंधित ज्ञान के उपयोग के संबंध में गैर-भारतीय संस्थाओं और अनिवासी भारतीयों के लिए एनबीए की मंजूरी आवश्यक है.

जैव-संसाधनों और बौद्धिक संपदा अधिकारों तक पहुंच

- उद्देश्य और उपयोग: जैविक विविधता अधिनियम, 2002, वाणिज्यिक, अनुसंधान और जैव-सर्वेक्षण उद्देश्यों के लिए जैव-संसाधनों और संबंधित ज्ञान की पहुंच और उपयोग की शर्तों को निर्धारित करता है.
- पहुंच के लिए पात्रता: विदेशी नागरिकों, अनिवासी नागरिकों और जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्रबंधन या पूंजी में विदेशी भागीदारी वाली संस्थाओं के लिए एनबीए से अनुमोदन अनिवार्य है.

न्यायसंगत लाभ साझा करना

- अनुमोदन तंत्र: एनबीए यह सुनिश्चित करता है कि जैव-संसाधनों तक पहुंच के लिए अनुमोदन उन शर्तों पर है जो समान लाभ साझाकरण को सुरक्षित करते हैं.
- लाभ साझा करने के रूप: लाभ को बौद्धिक संपदा के संयुक्त स्वामित्व, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, और स्थानीय समुदायों के लिए लाभकारी तरीके से उत्पादन और अनुसंधान सुविधाओं का पता लगाकर स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने जैसे रूपों में साझा किया जा सकता है.

राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी)

स्थापना: भारत के सभी राज्यों में अधिनियम की धारा 22 के तहत एसबीबी स्थापित हैं.

कार्य:

1. **सलाह**: वे राज्य सरकारों को जैव विविधता संरक्षण और सतत उपयोग पर सलाह देते हैं.
2. **नियामक**: वे भारतीयों द्वारा जैविक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण के अनुरोधों को विनियमित करते हैं.
3. **सामान्य कार्य**: वे राज्य सरकारों या अधिनियम द्वारा अनिवार्य अन्य आवश्यक कार्य करते हैं.

स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (बीएमसी)

भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (बीएमसी) स्थानीय स्तर की समितियाँ हैं जो जैविक विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और दस्तावेज़ीकरण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं.

संरचना

त्येक बीएमसी में एक अध्यक्ष और स्थानीय निकाय द्वारा नामांकित छह सदस्य होते हैं, जो महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं.

भूमिका और जिम्मेदारियाँ:

1. **संरक्षण और सतत उपयोग**: बीएमसी स्थानीय जैविक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं.
2. **दस्तावेज़ीकरण**: वे जैव विविधता और संबंधित ज्ञान के दस्तावेज़ीकरण के लिए जिम्मेदार हैं.
3. **पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर)**: बीएमसी पीबीआर तैयार करते हैं, जो स्थानीय जैव विविधता विवरण दर्ज करता है.
4. **पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापना**: वे स्थानीय जैव विविधता की पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापना में भाग लेते हैं.